



## पोखरा महानगरपालिका स्थानीय राजपत्र

पोखरा महानगरपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड ०९) पोखरा, कात्तिक २५ गते, २०८२ साल (संख्या ३

### भाग १

पोखरा महानगरपालिका भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण सम्बन्धी  
कार्यविधि, २०८० को (दोस्रो संशोधन २०८२)

| क्र.सं | कार्यविधिमा भएको व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                   | संशोधित व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                  | संशोधन गर्नु पर्नाको कारण                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| १      | (१) यो कार्यविधि वि.सं. २०८२ असार मसान्त सम्म लागु हुने रहनेछ। नियमित/अभिलेखिकरण/अभिलेख कार्य कार्यविधि लागु हुने अबधि सम्म निर्माण भै निवेदन पेश गरी प्रक्रियामा समेत अगाडी बढेका भवनहरूलाई मात्र भवन नियमित/अभिलेखिकरण/(अभिलेख प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ। | (१) यो कार्यविधि वि.सं. २०८३ असार मसान्त सम्म लागु रहनेछ। नियमित/अभिलेखिकरण/(अभिलेख कार्य २०८२ आषाढ मसान्त सम्म निर्माण कार्य भैसकेका भवन तथा निवेदन पेश गरी प्रक्रियामा समेत अगाडि बढेका भवनहरूलाई मात्र भवन नियमित/अभिलेखिकरण/अभिलेख प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ। | संशोधित व्यवस्था अनुरूप अभिलेखिकरण कार्य गर्न अबधि अपुग हुने भएकोले |

प्रमाणिकरण मिति

२०८२।०७।२५

आज्ञाले

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत